


सूचना

11.03.2019

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री संजीव कुमार पिता स्व; रवि दास निवासी ग्राम: हैंजदा, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: हैंजदा, थाना सं: 94 (गैरमजूरवा) खाता सं. 45 के अधीन प्लॉट सं. 378, 452, 487 और 416, कुल रकबा - 2.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/ndsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम हैंजदा, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: हैंजदा, थाना सं: 94 (गैरमजूरवा) खाता सं. 45 के अधीन प्लॉट सं. 378, 452, 487 और 416, कुल रकबा - 2.00 एकड़ के तहत श्री संजीव कुमार पिता स्व; रवि दास निवासी ग्राम: हैंजदा, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।



Yours faithfully,
General Manager (L&R),
CCL, Ranchi